न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 279/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
मंगलाराम पुत्र जसवंताराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम शिमला खारा, तहसील फलोदी जिला जोधपुर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–6–2018 जिसे उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 978/2018 अनवान मंगलाराम बनाम तहसीलदार फलोदी मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री ओम प्रकाश विश्नोई अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 10–6–2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपीलांट के खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा नंबर 203 रकबा 04 बीघा 08 बिस्वा भूमि पूर्व ग्राम खारा वर्तमान शिमला खारा मे आई हुई है, जिस पर अपीलार्थी का वक्त सेटलमेंट से कब्जा चला आ रहा है परंतु सेटलमेंट अधिकारियो द्वारा पर्चा खतौनी संवत 2010 मे प्रार्थी के पिता की संयुक्त खातेदारी भूमि एवं नाडियां (पानी का टांका) एवं किश्तवार संवत 2009 व 2010 मे भी अपीलार्थी के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज था । उक्त रेकर्ड के बाद आगे का रेकर्ड तैयार करते वक्त राजस्व कर्मचारियो द्वारा भूलवशः व त्रुटिवशः अपीलांट के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने से रह गया । अपीलांट के पिता द्वारा मिसल संख्या 656 के निर्णय मे खसरा नंबर 202 व 206 की किस्म बारानी दोयम से बारानी सोयम की गई थी लेकिन खसरा नंबर 203 की भूमि मे ढाणी दर्ज नही कर पायतान के रूप मे गलत रूप से दर्ज कर दी । उपरोक्त सद्भाविक त्रुटि किसी भी स्तर पर सुधार योग्य है, जिसके लिए अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खसरा नंबर 203 की भूमि जो त्रुटिवशः पायतान के रूप मे दर्ज कर दी गई है जिसे राजस्व रेकर्ड मे पूर्व के अंनुसार दर्ज करने बाबत निवेदन किया । जिस पर

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

कर दिया गया । जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

वकील अपीलांट एवं राजकीय पैरोकार उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है तथा यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायिक आदेश की परिभाषा मे नही आता है क्योकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश बिना पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किये तथा निर्णय मे बिना कोई कारण दिये ही अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को खारीज किया है, जो विधि एवं न्यायसंगत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड मे चला आ रहा था परंतु संवत् 2010 के बाद आगे के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे प्रार्थी के पिता का नाम त्रुटिवशः दर्ज होने से छूट गया था, जिसे धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के जरिये विधिवत दुरस्त करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी को होते हुए उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये दूसरी पेशी मे ही चार लाईन की आदेशिका के जरिये खारीज कर दिया जबकि अपीलांट ने सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था परंतु उन दस्तावेजो को नजरअंदाज करते हुए दिनांक 27–6–2018 को पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान आर.आर.टी.2013 (1) पेज 396, आर.आर.टी.2009–10 (सप्ली.) पेज 341–342, आर.आर.टी.2001 (1) पेज 596, आर.आर.टी.2018 (1) पेज 196, आर.आर.टी.2009 (2) पेज 954, की निर्णय नजीरें प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि उक्त निर्णय नजीरो मे यही अभिमत दिया गया है कि' सेटलमेंट के दौरान हुई त्रुटियो को धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा दुरस्त किया जा सकता है । अंत मे वकील अपीलांट ने अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा फलोदी द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांक 27–6–2018 को निरस्त करने तथा रेकर्ड मे हुई त्रुटि को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर तथा प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड का परीक्षण कर खसरा नंबर 203 की भूमि जो त्रुटिवशः पायतान के रूप मे दर्ज कर दी गई है

प्रति० सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व रेकर्ड मे हुई त्रुटि को दुरस्त कराने के संबंध मे धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय राजस्व रेकर्ड के प्रस्तुत कर राजस्व रेकर्ड मे दुरस्ती का निवेदन किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम आदेशिका दिनांक 14–5–2018 को दर्ज कर आगामी पेशी दिनांक 27–6–2018 दी गई तथा उसी दिन बिना किसी विवेचन के केवल 4 लाईन की आदेशिका के जरिये अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 136 का प्रार्थना पत्र खारीज कर दिया, जो विधि एवं न्यायसंगत नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही होने से खारीज करने का निवेदन किया तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी को धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो के तहत पुनः परीक्षण कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27–6–2018 आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया । अपीलांट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा नंबर 203 रकबा 04 बीघा 08 बिस्वा भूमि पूर्व ग्राम खारा वर्तमान शिमला खारा मे आई हुई है, जिस पर अपीलार्थी का वक्त सेटलमेंट से कब्जा चला आ रहा है परंतु सेटलमेंट अधिकारियो द्वारा पर्चा खतौनी संवत 2010 मे प्रार्थी के पिता की संयुक्त खातेदारी भूमि एवं नाडियां (पानी का टांका) एवं किश्तवार संवत 2009 व 2010 मे भी अपीलार्थी के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज था परंतु आगे का रेकर्ड तैयार करते वक्त राजस्व कर्मचारियो द्वारा भूलवशः व त्रुटिवशः खसरा नंबर 203 की भूमि मे ढाणी दर्ज नही कर पायतान के रूप मे गलत रूप से दर्ज कर दी, जिसे दुरस्त कर राजस्व रेकर्ड मे पूर्व की स्थिति अनुसार दुरस्ती करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 27–6–2018 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का खारीज कर दिये जाने के विरूद्ध अपीलांट ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

इस न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलांट अधिवक्ता द्वारा की गई बहस एवं उनकी इस अपील मे चाही गई इस्तदुआ पर मनन किया एवं बहस के दौरान प्रस्तुत निर्णय नजीरों का अध्ययन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड का भी अवलोकन किया ।

खातेदारी अधिकार हासिल करना एवं तद्नुसार राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज दुरस्ती करवाना चाहते है । उक्त अनुतोष धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के तहत प्राप्त नही किया जा सकता है । इसके लिए अपीलांट सक्षम न्यायालय मे घोषणात्मक वाद दायर कर उसमे चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र है । ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27–6–2018 मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27–6–2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 10–6–2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर